रेलवे कर्मचारी हित निधि

(Railway Servants Staff Benefit Fund)

(अध्याय VIII भारतीय रेल स्थापना संहिता नियम 801 से 812)

भारतीय रेलवे पर कर्मचारी हित निधि का गठन सन् 1931 में किया गया । प्रत्येक क्षैत्रिय रेलवे पर केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति द्वारा कर्मचारी हित निधि की देख रेख की जाती है।

निधि के उद्देश्य : (नियम 802)

1. कर्मचारियों और उनके बच्चों के मनोरंजन, खेल–कूद, स्काउटिंग, आमोद–प्रमोद एवं शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना, जहाँ नियमों के अन्तर्गत कोई अन्य सहायता देय नहीं है।
2. रेलवे कर्मचारी और उनके परिवार को विपत्ति में राहत देना।
3. यदि समिति किसी ऐसे अन्य मद पर खर्च करना चाहती है जो कि उनके विचार में कर्मचारियों के हित में है तो मामला महाप्रबन्धक को भेजा जाएगा व उनके द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

इस निधि के किसी भी भाग का उपयोग राजपत्रित रेलवे सेवक हेतु नहीं लिया जाएगा।

निधि के स्त्रोत :

1. जुर्माने से प्राप्त समस्त राशि।
2. अराजपत्रित कर्मचारियों के जब्त (Forfeit) भविष्य निधि बोनस से प्राप्त समस्त राशि।
3. तीन वर्ष से अधिक समय से अद्त मजदूरी (Unpaid wages) (RBE 149/06)

उपर्युक्त बताए गए स्त्रोत के अलावा 31 मार्च को स्थाई और अस्थाई अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या के आधार पर, उन पदों को छोडकर जिनका खर्च पूजींगत लागत से किया जाता है,प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक अप्रैल को रेलवे राजस्व से प्रति व्यक्ति रू. 35/– की दर से (RBE NO.145/2009 के अनुसार वर्ष 2009–10 के लिए यह राशि रू. 350/–, आरबीई 62/2010 के अनुसार वर्ष 2010–11 के लिए यह राशि रू. 500/– तथा आरबीई 83/14 के अनुसार वर्ष 2014–15 के लिए यह राशि रूपये 800/– कर दी गई है) प्रत्येक वर्ष की एक अप्रैल को पिछले वर्ष की अंशदान की राशि के बराबर राशि, निधि में अनन्तिम रूप से जमा कर दी जाएगी तथा जैसे ही अंशदान की सही राशि निश्चित होगी आवश्यक समायोजन किया जाएगा। (नियम 805)

विभिन्न गतिविधियों हेतु रू. 350/– (वर्ष 2009–10), रू.500/– (वर्ष 2010–11)व रू. 800/– (वर्ष 2014–15)का वितरण निम्नानुसार है :– [RBE 145/09,62/10,73/11,83/14,136/14]

		(Yr.09-10	(Yr.10-11)	(Yr.14-15)
1	Education (All Non-Gaz-employee)	72.75	72.75	116.00
2	Scholarship for higher education of girl children of staff in grade pay upto Rs. 2400/- @Rs.1500/- p.m.)*	50.00	100.00	110.00
3	Scholarship for higher technical /Professional education of Male children of staff in grade pay upto Rs. 2400/- @Rs. 1500/- PM)*	-	60.00	100.00
4	Women empowerment activities including seminar, camps ,training Programme and gender sensitization camps etc.	23.00	23.00	28.00
5	Recreation other than sports.	22.25	22.25	32.00
6	Recreation facilities at Institutes and Clubs etc.	-	-	36.00
7	Promotion of Cultural Activities .	10.50	10.50	16.00
8	Relief of distress, sickness,etc for staff in grade pay upto Rs. 4600/-	50.00	120.00	-
9	Sports activities.*	20.00	20.00	30.00
10	Scouts and Guide activities.	13.50	13.00	22.00
11	Indigenous system of medicine including Homoeopathy.	22.50	22.50	36.00
12	Immediate relief in the time of crises arise out due to natural calamity.	18.00	18.00	24.00
13	Developing occupational skills of mentally /physically challenged railway employees and their wards including purchase of wheel chairs, other aids ,special software etc. and organizing workshops, seminars,camps etc.	27.00	27.00	50.00
14	Miscellaneous.	10.50	10.50	80.00
	Total	350.00	500.00	800.00

[इन मदों के अन्तर्गत रेल कर्मचारियों के बच्चे ,जिन्होनें शिक्षा व खेलकूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रर्दशन किया है,के लिए शैक्षणिक वर्ष /वित्तीय वर्ष 2015–16 से नगद पुरस्कार योजना शुरू की गई है। (आरबीई 54/15)]

2. पिछले वर्ष के दौरान विभिन्न रेलों द्वारा अपने रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा हेतु दी गई छात्रवृत्ति पर व्यय की गई राशि के 50% तक की राशि निधि में बढा दी जाएगी।

ग्रेड पे रू. 2400/– व कम प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृति योजना को लागू करने के संबंधी आदेश के मुख्य बिन्दु निम्न है :–

(i) ग्रेड पे रू. 2400/– व कम प्राप्त करने वाले सेवारत कर्मचारियों के बच्चे इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृति हेतु पात्र होगें।

(ii) उच्च शिक्षा का अर्थ सभी डिग्री एवं डिप्लोमा कार्यक्रमों से है, जो कि एक वर्ष से कम के न हो तथा मान्यता प्राप्त संस्थानों /विश्वविद्यालयों से हो।

(iii) प्रत्येक छात्रवृति की राशि रू. 1500/– प्रति माह होगी। (RBE83/14)

(iv) इस योजना के अन्तर्गत लाभ लेने वालों को कर्मचारी हित निधि से इसी प्रकार के मिलने वाले अन्य लाभ देय नहीं होगें।

(v) छात्रवृति की राशि का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा।

(vi) छात्रवृति की राशि का भुगतान बच्चे के नाम एकाउन्ट पेयी चैक के माध्यम से किया जाएगा।

(vii) 3. मद सं. (1)(2)(3) के संदर्भ में (मसलन छात्रवृतियां)– यद्यपि वर्तमान में रि–एपरोपिएशन का प्रावधान है तथापि केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति को यह शक्ति होगी कि वह मद सं.(2) व (3) की निधि को, मांग के आधार पर रि–एपरोपिएट कर सकेगी। जब कभी ऐसा किया जाए तो बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाए। छात्रवृत्तियों के संबंध में अन्य दिशा–निर्देश उपर्युक्तनुसार समान रूप से लागू होगें। (RBE 62/10, 83/14)

प्रति व्यक्ति कुल अंशदान के आधार पर खेल गतिविधियां, स्काउटिंग गतिविधियों और प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न विपति के समय तत्काल राहत के लिए क्रमशः रेलवे स्पोर्टस प्रमोशन बोर्ड, रेलवे स्काउट बोर्ड और कर्मचारी हित निधि आपदा राहत निधि से विचार विमर्श कर दिए जायेगें, जो कि रेल मंत्रालय के नियन्त्रण में होगें इसलिए रेलवे द्वारा कर्मचारी हित निधि का आंवटन केन्द्रीयकृत रूप से रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा किया जायेगा।
(RBE- 38/08)

कर्मचारी हित निधि आपदा राहत निधि का गठन रेलवे बोर्ड स्तर पर किया गया है। इस निधि पर प्रशासनिक नियन्त्रण एक समिति द्वारा किया जायेगा जो कि एडवाईजर (आई.आर), ई.डी.एफ.(ई), ई.डी. सी.ई.(जी) से मिलकर बनी है तथा जेडीई (डबल्यू) इसके सचिव के रूप में मदद करेंगे। इस समिति को एक क्षेत्रीय रेलवे को रू. 10/– लाख तक की राहत स्वीकृत करने की शक्ति है। समिति की अनुशंसा पर रूपये 10 लाख से ज्यादा ,लेकिन रूपये 20 लाख तक की राहत राशि द्वारा की जायेगी रेलवे बोर्ड (एम.एस) द्वारा स्वीकृत की जायेगी तथा 20 लाख व ज्यादा की स्वीकृति रेलमंत्री सक्षम प्राधिकारी है।
(RBE- 150/07)

नोटः– केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समितियों को कर्मचारी हित निधि के अन्तर्गत विभिन्न शीर्षो की गतिविधियों में से शिक्षा, खेलकूद व स्काउट गतिविधियों की निधि को छोडकर अन्य निधि की 25% तक की राशि को रि–अपरोपिएट करने की शक्तियां है। (RBE- 18/09 Rule 806)

<u>निधि से व्यय</u> :–

कर्मचारी हित निधि से सभी खर्च नियमों के अन्तर्गत नियुक्त समिति या उप समिति द्वारा महाप्रबन्धक की सामान्य देखरेख में प्राधिकृत होगें।

स्टेशनरी की लागत, फार्मो के मुद्रण का प्रभार ,डाक प्रभार और निधि से संबंधित अन्य आकस्मिक खर्च, रेलवे राजस्व से किए जायेगें। कर्मचारी हित निधि समिति की बैठकों के दौरान मनोरंजन पर होने वाला खर्च इस निधि से ही किया जायेगा।

<u>निधि का प्रबन्धन</u> :– (नियम–807)

रेलवे मुख्यालयों पर मुख्य कार्मिक अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निधि का प्रबन्धन किया जायेगा। समिति का गठन अध्यक्ष के अलावा निम्न प्रकार से होगा :–

1	अध्यक्ष	– मुख्य कार्मिक अधिकारी
2	प्रशासन की ओर से	– 1. मुख्य चिकित्सा निदेशक 2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
3	सचिव	– महाप्रबन्धक द्वारा नामित एक कल्याण अधिकारी
4	कर्मचारियों की ओर से	– मान्यता प्राप्त संगठनों के 06 सदस्य जो कि उनमें समान रूप से विभाजित हो तथा AISC/STREA & AIOBCREA से 01–01 सदस्य (RBE- 57/14)

उत्पादन ईकाइयों में जहॉ स्टाफ परिषदें कार्यरत है, वहॉ केन्द्रीय स्टाफ परिषदों द्वारा चयनित सदस्य कर्मचारी हित निधि समिति का प्रतिनिधत्व करेगें।

मुख्यालय/मंडल और कार्यशाला स्तर पर कर्मचारी हित निधि समिति होगी जिनमें निम्नलिखित पदाधिकारी होगें :–

1	अध्यक्ष (पदेन)	Dy CPO /SPO	Sr.DPO/DPO	WM/ AWM/SPO
2	नामित सदस्य	एक अधिकारी CPO द्वारा	DRM द्वारा	CWM/DY CME द्वारा
3	सचिव	S&WI	S&WI	APO / S&WI

उपर्युक्त के अलावा मान्यता प्राप्त प्रत्येक यूनियनों से दो–दो सदस्य होगें। कार्यशाला में कर्मचारी हित निधि समिति होती है, इनका गठन भी उसी प्रकार का है जैसा मंडल के लिए निर्धारित है। यदि कार्यशाला में वरिष्ठ वेतनमान स्तर का कार्मिक अधिकारी नहीं है तो उसका स्थान कार्य प्रबन्धक लेगा और यदि कार्य प्रबन्धक भी नहीं हो तो यह कार्य सहायक कार्य प्रबन्धक करेगा।

समिति या उप समिति का सदस्य एक वर्ष के लिए होगा। इन्हें महाप्रबन्धक द्वारा हटाया जा सकता है या वह इस्तीफा दे सकता है लेकिन वह पुनः नामित या पुनः निर्वाचन के योग्य होगा। (नियम–809)

यदि अध्यक्ष निम्न मामलों पर समिति के बहुमत से असहमत हो तो :– (नियम–810)

1. निधि से होने वाले व्यय के आर्थिक औचित्य के बारे में।
2. क्या नियम 802 में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप सहायता दी जा सकती अथवा नहीं।
3. क्या इसका सरकार या रेलवे की मान्यता प्राप्त नीति से कोई विरोधाभाष है ?

तो वह मामले को महाप्रबन्धक के पास विचारार्थ भेजेगा और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा।

निधि की कार्य प्रणाली पर वार्षिक रिपोर्ट : (नियम–812)

महाप्रबन्धक पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निधि की कार्य प्रणाली के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

कर्मचारी कल्याण गतिविधियॉ : (चेप्टर XXII,IREM II के नियम–2201 से 2241)

छात्रावास अनुदान :

रेलवे कर्मचारी अपना स्थानान्तरण होने पर अपने बच्चों को जहॉ वह पदस्थापित है या रह रहा है वहॉ से दूर किसी आवासीय विद्यालय के छात्रावास में रखने को विवश हो जाने के कारण दो बच्चों तक के लिए दिनांक 01.09.2008 से प्रति बालक अधिकतम रू.3000/– प्रतिमाह(विकलांग बच्चों के लिए 6000/– प्रतिमाह –आरबीई –135/10) अनुदान सहायता के लिए पात्र होगा। छात्रावास अनुदान कक्षा 12 तक देय है जिसमें शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्कूल और जूनियर कॉलेजों की कक्षा 11 और 12 शामिल है। जब महंगाई भत्ता 50% हो जायेगा तो उपर्युक्त सीमाऍ 25% तक बढ जायेगी।

तकनीकी शिक्षा हेतु छात्रवृति : (IREM Part-II Rule 2206)

रेलवे द्वारा कर्मचारियों के बच्चों ,आश्रित भाईयों और बहनों को छात्रवृति प्रदान की जाती है। अन्य विभागों के कर्मचारी जो रेलवे में प्रतिनियुक्ति पर हैं, के बच्चों को शिक्षा के लिए छात्रवृति की सहायता के योग्य नहीं समझा जायेगा।

तकनीकी शिक्षा का अर्थ शुद्व विज्ञान होगा (विज्ञान में डिग्री प्राप्त हो) या अनुप्रयुक्त विज्ञान में (चिकित्सा या इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त हो)। इसमें वे विषय शामिल नहीं होगें जो कॉलेजो या दूसरे शैक्षिक संस्थानों में सामान्यतः कला (आटर्स)पाठ्यक्रम में शामिल किए जाते है। जहॉ संदर्भित डिप्लोमा कोर्सेज आवश्यक रूप से वे नहीं होगें जो डिग्री के समान है। तकनीकी शिक्षा की विभिन्न शाखाओं में दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा इस योजना के कार्य क्षैत्र में शामिल होगें। इन छात्रवृतियों का खर्च कर्मचारी हित निधि द्वारा वहन किया जाएगा। तकनीकी छात्रवृति देने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि वह विद्यार्थी जिसको छात्रवृति दी जा रही है वह जिस संस्थान में पढता है वहॉ से या अन्य किसी स्त्रोत से आर्थिक सहायता तो प्राप्त नहीं कर रहा है। इस उद्वेश्य के लिए रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को रेलवे कर्मचारी हित निधि से छात्रवृति के दावे के प्रार्थना पत्र के साथ अपने स्कूल/संस्थान से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे अपने स्कूल /संस्थान या किसी अन्य स्त्रोत से किसी प्रकार की छात्रवृति प्राप्त नहीं कर रहे है।

छात्रवृति आबंटन तथा कर्मचारी हित निधि के मार्गदर्शन हेतु निम्नलिखित प्राथमिकताऍ तय की गई है:–

वे आवेदक जो चिकित्सा के आयुर्वेदिक और होमियोपेथी सहित चिकित्सा में डिग्री कोर्स ,फार्मेसी और इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं, कम्प्यूटर साइंस, आर्किटेक्चर और पर्यावरण योजना, वेटरनरी साइंस और पशुपालन (एनिमल हसबेन्डरी) और विज्ञान (कृषि), बी.फार्मेसी में स्नातक में पढ़ रहे है, उनको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

द्वितीय वरीयता चिकित्सा की आयुर्वेदिक और होमियोपेथी पद्वति सहित चिकित्सा, फार्मेसी और इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइंस, आर्किटेक्चर और पर्यावरण योजना में डिप्लोमा कोर्स को दी जाएगी।
यदि कोई रेलवे छात्रवृति का हिस्सा उपयुक्त श्रेणी में पूरी तरह काम में नहीं लेता है तो तीसरी वरीयता उन आवेदको को दी जाएगी जो शुद्व विज्ञान में डिग्री कोर्सेज में पढ़ रहे है।
छात्रवृति का निम्नलिखित प्रतिशत अ.जा. और अ.ज.जा. के बच्चों को देने हेतु क्रमशः 15% व 7.5 % आरक्षित रखा जाएगा। यदि अ.जा. और अ.ज.जा. कर्मचारियों के बच्चे पर्याप्त संख्या में छात्रवृति के उपयुक्त प्रतिशत को प्राप्त करने के लिए नहीं आते है तो छात्रवृति दूसरे आवेदको को दे दी जाएगी और छात्रवृति नष्ट नहीं होने दी जाएगी। बाबा साहब डा.भीमराव अंबेडकर की शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर अ.जा. व अ.ज.जा.हेतु छात्रवृति का प्रतिशत 12 1/2 व 5% से बढाकर क्रमशः 15% व 7½% किया गया। [रे.बो.का पत्र सं.E(W)90Fv-17 dt 09.11.90(N.R.PS 10273)]
एक सेवारत कर्मचारी के बच्चे के पक्ष में दी जाने वाली छात्रवृति जब तक बच्चा उस कोर्स को पूर्ण करेगा तब तक दी जाएगी और इस पर कर्मचारी की मृत्यु, विकलांगता और आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृति का कोई प्रभाव नहीं पडेगा। हालांकि जब रेलवे कर्मचारी सेवा से त्याग–पत्र दे देगा तब वह बच्चे की स्वीकृत छात्रवृति प्राप्त नहीं कर सकेगा।
एक अराजपत्रित रेलवे कर्मचारी के बच्चे की छात्रवृति बाद में रेलवे कर्मचारी की पदोन्नति राजपत्रित पद पर होने मात्र से तब तक नहीं रोकी जाएगी तब तक की उसका राजपत्रित पर स्थाईकरण नहीं हो जाता।
यदि इन नियमों के अन्तर्गत छात्रवृति प्राप्त करने वाले रेलवे कर्मचारी का स्थानान्तरण दूसरे रेलवे प्रशासन में हो जाता है तो तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र की छात्रवृति स्थानान्तरण करने वाले रेलवे के कर्मचारी हित निधि से मिलनी जारी रहेगी, जब तक कोर्स पूरा नहीं हो जाता, यदि यह अन्य किसी कारण से जब्त नहीं की जाती है।
चिकित्सा या इंजीनियरिंग के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को भी छात्रवृति देय होगी। (RBE -57/07)
इंजीनियरिंग,मेडिसन इत्यादि डिग्री पाठ्यक्रमों हेतु हित निधि से दी जाने वाली छात्रवृति की सीमा 100/– रू. प्रतिमाह से बढ़ाकर 200/– रू. प्रतिमाह की गई। (RBE -140/07)

रेलवे संस्थान और क्लब

संस्थान रख–रखाव और प्रबन्धन पर व्यय का भार : (IREM भाग–II नियम–2208 से 2217)
क्षैत्रीय रेलवे का महाप्रबन्धक, क्षैत्र की सीमाओं/कार्यक्षैत्र में स्थित सभी रेलवे संस्थानों का संरक्षक होता है। मंडल रेल प्रबन्धक, मंडल के कार्यक्षेत्र में स्थित सभी रेलवे संस्थानों का उप संरक्षक होता है। कार्यशाला के कार्यक्षेत्र में स्थित रेलवे संस्थान का उप संरक्षक CWM/Dy CME होता है।
रेलवे संस्थान को रेलवे द्वारा अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए उपलब्ध कराये गए किराया रहित क्लब के रूप में देखना चाहिए। इस प्रकार एक सामान्य सिद्वान्त के रूप में रेलवे वह सब कुछ उपलब्ध कराएगा जो जो एक मकान मालिक सामान्यतः देता है। संस्थान उन सब की कीमत चुकाएगा जो सामान्यतः किराएदार को दिया जाना चाहिए।
रेल, प्रशासन वहन करेगा : बिजली के उपकरण (जिसमें बिजली के पंखे शामिल है) सहित निर्माण पर व्यय,आवश्यक फर्नीचर, सड़कें चारदीवारी/बाड़ और रख रखाव तथा फेर बदल का खर्च इत्यादि । जहॉ कहीं सम्भव हो बगीचा भी उपलब्ध कराया जाएगा।
संस्थान की निधि वहन करेगी :
(अ) इंजीनियरिंग मरम्मत के अलावा खेल के मैदान को समतल बनाना, पानी देना, घास काटना और अन्य रख–रखाव पर व्यय,
(ब) बिजली की खपत और मीटर किराए का व्यय। रेलवे भवनों को ऑफिसर्स क्लब के रूप में इस्तेमाल करने पर किसी प्रकार के किराए की वसूली नहीं होगी।
रेलवे संस्थान में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के स्टाफ को बिना किराए आवासीय सुविधा इस शर्त पर दी जा सकती है कि या तो ऐसा आवास संस्थान भवन या उसके आउट हाऊस का अभिन्न अंग है या रेलवे के अन्य उद्वेश्य के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है या बाहरी व्यक्तियों को किराए पर नहीं दिया जा सकता और अन्यथा खाली पडा रहेगा।
संस्थान को एक सीनियर या जूनियर संस्थान के रूप में संगठित किया जा सकता है स्टाफ की जितनी विस्तृत संख्या समभव हो, रखी जाए।

सदस्यता ऐच्छिक होगी और सदस्यता हेतु मासिक अंशदान की दर संस्थान की आवश्यकता के अनुरूप स्टाफ की चयनित/नामित सभा द्वारा तय की जाएगी। प्रबन्धक समिति का गठन रेल कर्मचारियों के क्षैत्र विशेष अर्थात् कार्यशाला, स्टेशन इत्यादि के संस्थान के सदस्यों के अनुरूप किया जायेगा।

महाप्रबन्धक को निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ रेलवे प्रशासन की स्थानीय आवश्यकताओं और उस स्थान की अन्य परिस्थितियों के अनुरूप नियम बनाने की शक्ति है:–

1. रेलवे परिसर में मान्यता प्राप्त यूनियनों की मीटिंग के समय उस मीटिंग में किसी प्रकार के राजनीतिक विषय पर चर्चा न की जाएं,
2. रेलवे परिसर /भूमि पर गैर मान्यता प्राप्त यूनियनों को मीटिंग करने की इजाजत न दी जाए।

होली डे होम : (अवकाश गृह) (IREM भाग–II नियम–2219 से 2225)

होली डे होम देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए है जो कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों (जो पास नियमों के अनुसार हो) की सुविधा हेतु है ना कि उनके रिश्तेदारों के लिए । राजपत्रित अधिकारियों, ग्रुप सी, और ग्रुप डी हेतु तीन प्रकार के आवास है। होली डे होम्स सभी राजपत्रित अधिकारियों, ग्रुप सी और ग्रुप डी के साथ–साथ सेवानिवृत रेलवे अधिकारियों, सेवानिवृत ग्रुप सी और ग्रुप डी के स्टाफ को भी उपलब्ध कराए जाते है। आवश्यक सामान जैसे बर्तन, फर्नीचर और मनोरंजन सुविधाएं इत्यादि, होली डे होम में रहने के लिए वसूले जाने वाले नाम मात्र के किराए पर दी जाती है और इसे रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार स्टेशन आय में जमा करा दिया जाता है।

किसी एक रेलवे द्वारा बनवाए गए होली डे होम में किसी दूसरे रेलवे के स्टाफ को रहने /काम में लेने की इजाजत देना घरेलु रेलवे के स्टाफ की मांग को पूरा करने के पश्चात् सम्भव है। वह स्टाफ जिसे होली डे होम में रहने की स्वीकृति मिल गई है उनकी छुट्टी, आपातकालीन मामले के अलावा निरस्त नहीं की जानी चाहिए। जहॉ ग्रुप डी हेतु आवास उपलब्ध नहीं है वहॉ पर वे ग्रुप डी हेतु निर्धारित दर पर उच्चतर प्रकार के आवास का अधिग्रहण कर सकते है। दिनांक 01.09.2012 से अधिकारियों और स्टाफ के लिए लागू दरें निम्नानुसार है :– (पूरक परिपत्र सं. 01 मास्टर परिपत्र सं.2/90)

क्रम	कर्मचारी एवं अधिकारियो का स्तर	दर प्रति सुइट प्रतिदिन (दिनांक 01.09.12 से आरबीई नं 104/12)	
		सेवारत	सेवानिवृत
1	कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान से ऊपर के राजपत्रित अधिकारी	रू. 60/–	रू. 175/–
2	कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान सहित उससे नीचे के राजपत्रित अधिकारी	रू. 60/–	रू. 80/–
3	ग्रुप सी	रू. 30/–	रू. 60/–
4	ग्रुप डी	रू. 12/–	रू. 30/–

सेवानिवृत रेलवे कर्मचारियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश,दशहरा,पूजा और क्रिसमस अवकाश के अलावा अधिग्रहण के सात दिन पहले होली डे होम में निश्चित बुकिंग दी जाएगी और सेवारत रेलवे कर्मचारी की वरीयता में निश्चित बुकिंग अधिग्रहण के सात दिन पहले तक रद्व नहीं की जाएगी । (RBE -140/02)

वे कर्मचारी जो सेवा क्षैत्र ईकाइयों /स्वायत्त निकायों में स्थायी रूप से समाहित होने के उद्वेश्य से रेल सेवा से तकनीकी रूप से सेवानिवृत होते है और सेवानिवृति पश्चात् मानार्थ पास के हकदार है वे भी होली डे होम की सुविधा का लाभ उठा सकते है। (RBE -96/07)

भारतीय रेलवे पर विभिन्न अवकाश गृहों की सूची ,मय सम्पर्क सूत्र आरबीई 69/12 में दी गई है।

चिकित्सा की प्राचीन पद्वति :

चिकित्सा की प्राचीन पद्वति के अन्तर्गत कर्मचारी हित निधि द्वारा आयुर्वेदिक/होमियोपेथिक औषधालय चलाए जा रहे है। दवाईयों का व्यय और चिकित्सकों /डिस्पेन्सरों को मानदेय सहित निम्नलिखित दरों पर (01.08.2010 से प्रभावी) कर्मचारी हित निधि द्वारा ऐसे औषधालयों को चलाया जा रहा है :–

(RBE -26/06,111/08,06/09,112/10)

चिकित्सक			डिस्पेंसर	दवाईया
	पूर्ण कालिक ड्यूटी	अंशकालिक ड्यूटी		
आयुर्वेद	रू. 21000/–प्र.मा.	रू. 12600/–प्र.मा.	7100/–	8000/–
होम्योपेथी	रू. 21000/–प्र.मा.	रू. 12600/–प्र.मा.	2000/–	3000/–

1. यदि होमियोपेथी डिस्पेंसर की आवश्यकता नहीं तो होमियोपेथी दवाईयों के लिए रू.5000/– खर्च किए जा सकते है।
2. अंशकालिक से आशय है प्रतिदिन लगभग 04 घण्टे की ड्यूटी और पूर्णकालिक से आशय हो प्रतिदिन लगभग 08 घण्टे की ड्यूटी।

3. अंशकालिक होमियोपेथी/आयुर्वेदिक औषधालयों को पूर्णकालिक में बदलने हेतु महाप्रबन्धक सक्षम है। (RBE -30/13)
4. होम्योपेथी डॉक्टर की शैक्षणिक योग्यता बाबत्। (RBE -250/89, 13/14)

स्वास्थ्य लाभ गृह : (IREM भाग–II नियम–2226)

ग्रुप सी और ग्रुप डी का स्टाफ जो सामान्यतः स्वास्थ्य लाभ लेने हेतु अपने खर्चे पर जलवायु परिवर्तन के लिए नहीं जा सकते, उनके लिए रेलवे ने स्वास्थ्य लाभ गृह स्थापित किए है। यदि ऐसे स्थान पर होली डे होम अस्तित्व में है जो जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से स्वास्थ्य लाभ गृह के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते है तो होली डे होम पर्याप्त रूप से संरक्षित है तो इसको बढाए या फैलाए बिना स्वास्थ्य लाभ गृह के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उद्वेश्य यह है कि प्रत्येक रेलवे के पास स्वास्थ्य लाभ गृह होना चाहिए ताकि स्वास्थ्य लाभ लेने वाले के साथ छुट्टी बिताने वालों से अलग व्यवहार किया जा सके लेकिन साथ ही छुट्टी बिताने वालों को इस कारण से वंचित न किया जाए कि होली डे होम के एक भाग को स्वास्थ्य लाभ गृह के रूप में काम में लिया जा रहा है। जहॉ अलग से स्वास्थ्य लाभ गृह उपलब्ध करवाए जाने है वहॉ होली डे के लिए बनाए गए नियम लागू होगें सिवाय इसके कि स्वास्थ्य लाभ स्थापित करने के लिए रेलवे बोर्ड की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

(ii) इन स्वास्थ्य लाभ गृहों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ऐसे स्टेशन जहॉ पर रेलवे के डॉक्टर हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ गृह में सेवाएं देने हेतु प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए। नजदीकी रेलवे डॉक्टर सप्ताह में दो बार स्वास्थ्य लाभ गृह जाएगा।

(iii) स्वास्थ्य लाभ गृह में रहने वालों से उसका वहीं किराया लिया जाएगा जो होली डे होम के लिए नियत है। हालांकि यदि रहने वाले को बिना किराए रहने की इजाजत दी जाती है और आवश्यक खर्च SBF से वसूला जाता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

(iv) जहॉ अलग से स्वास्थ्य लाभ गृह स्थापित है वहॉ पर योजना की वित्तिय उलझनों पर निर्णय करने के लिए होली डे होम की तरह खर्चो का एक प्रोफार्मा अकाउण्ट रखना चाहिए।

स्काऊट और गाइड : (IREM भाग–II नियम–2227 व 2228)

रेलवे में स्काउटिंग संगठन प्रत्येक रेलवे पर एक अलग राज्य संघ ,भारत स्काऊटस और गाईड्स की एक शाखा के रूप में काम करता है और सीधे भारत स्काऊट्स और गाईड्स के अधीन है।

सांस्कृतिक कोटे के अन्तर्गत स्काऊट की नियुक्ति :

मंडल रेल प्रबन्धक मंडल स्तर पर प्रति वर्ष ग्रुप डी में अधिकतम दो व्यक्तियों की भर्ती कर सकते है और महाप्रबन्धक क्षैत्रीय स्तर पर प्रति वर्ष अधिकतम 02 ग्रुप सी की भर्ती इस शर्त पर कर सकते है कि आवेदक रेलवे प्रशासन द्वारा निर्धारित योग्यताओं को पूरा करते है। हांलाकि न्यूनतम योग्यता अन्य शैक्षिक /तकनीकी योग्यताओं और अनुभव ,यदि कोई हो ,के अलावा वरीयता में प्रेसिडेन्ट्स स्काऊट होना चाहिए। स्काऊट /गाइड इकाई में रिक्तियॉ भरते समय उन लोगों को वरीयता दी जानी चाहिए जिनको इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त हो।

यात्रा भत्ता ,दैनिक भत्ता,विशेष छुट्टीयॉ और पास :

(i) प्रशिक्षु और प्रशिक्षार्थियों सहित वे रेलवे कर्मचारी जो रेलवे राज्य संगठन के स्काउट /गाइड है उनको चाहे भारत में या बाहर, स्काउटिंग ड्यूटी पर एक कैलण्डर वर्ष में अधिकतम 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश, ट्रेनिंग कैम्प या रैलियों में भाग लेने के लिए या स्काउटिंग प्राधिकारियों के निर्देशों के अन्तर्गत कार्य करने पर दिया जा सकता है,परन्तु इस कार्य से रेलवे ड्यूटी में बाधा नहीं पहुॅचनी चाहिए। विशेष आकस्मिक अवकाश जब स्काउटिंग तिथियों पर स्वीकृत किया जाता है तो उसे आकस्मिक अवकाश या रिकार्डेड छुट्टी के साथ समाहित /जोडा जाए। हांलाकि, जब नियमित छुट्टी विशेष आकस्मिक अवकाश के साथ स्वीकृत की जाए तो आकस्मिक अवकाश के साथ स्वीकृत न की जाए।

(ii) उपर्युक्त संदर्भ में रेलवे कर्मचारियों, उनके पारिवारिक सदस्य जो रेलवे राज्य संगठन के ऑफिस बियरर के रूप में नियुक्त है या जिन्होंने अपना नाम कब–बुलबुल, स्काउट–गाइड, रोवर्स–रेंजर्स के रूप में लिखा रखा है, उनको विशेषपास जारी किए जाएगे।

(iii) ऊपर (i) और (ii) में संदर्भित विशेष आकस्मिक अवकाश और निःशुल्क पास की छूट उन रेलवे कर्मचारियों को दी जा सकती है जिन्होंने भूतपूर्व स्काउट और गाइड की राष्ट्रीय फैलोशिप की रेलवे शाखा को जोइन किया है या जब उन्हें स्काउटिंग कार्य हेतु बुलाया जाता है।

(iv) निम्नाकिंत गतिविधियों के लिए स्काउटर्स/गाइडर्स/एडल्ट लीडर/कमिशनर्स/रोवर्स/रेंजर्स को एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 15 दिनों तक का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता कर्मचारी को उनकी दर के अनुरूप दिया जा सकता है :–

(अ) जब राज्य/जिला स्काउट संगठनों द्वारा संचालित प्रशिक्षण केम्प/कोर्स,हिमालयन वुड बेज ट्रेनिंग कोर्स इत्यादि में बच्चों को स्काउट–गाइड, रोवर्स–रेजंर्स का प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाए।

(ब) जब मेला, त्यौहार, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, चक्रपात, उपद्रव इत्यादि के समय रेलवे के प्रयासों के पूरक के रूप में रेलवे प्रशासन की सहायता करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है।

(स) जब स्काउट गाइड अधिकारियों को राज्य/राष्ट्रीय सभा की बैठक में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है,और

(द) जब रेलवे कर्मचारियों को राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख स्काउट/गाइड आयोजन जैसे रैली,जम्बूरी,सम्मेलन इत्यादि के संचसलन या प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है।

इत्यादि के संचालन या प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है।

स्काउटिंग गतिविधियों पर व्यय होने वाला यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता राजस्व से लिया जाएगा। चूंकि स्काउटिंग एक कल्याणकारी गतिविधि है, इस उद्वेश्य हेतु अनुदान कर्मचारी हित निधि से दिए जाते है। विशेष स्काउटिंग गतिविधियों के लिए 15 दिनों के यात्रा भत्ता /दैनिक भत्ता की स्वीकृति 30 दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश के दायरे में है और इस प्रकार एक कर्मचारी द्वारा इस विषय में बिताया गया कुल समय 30 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए।

<u>हस्तशिल्प केन्द्र :</u> (Handi Craft Centre) (IREM भाग–II नियम–2239)

(i) रेल कर्मचारियों के लाभ हेतु हस्तशिल्प केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए जो रेल कर्मचारियों के परिवार की महिला सदस्यों को खाली समय में कुछ काम/हुनर सीख कर परिवार की आय को बढा सकने के उद्वेश्य से कताई,बुनाई, कपडों की सिलाई इत्यादि हस्तशिल्प सिखा सके।

(ii) इस योजना पर होने वाला व्यय कर्मचारी कल्याण निधि से लिया जाए।

(iii) हस्तशिल्प केन्द्र के लिए स्थान की व्यवस्था रेलवे भवन के खाली पडे स्थान में बिना किराए के की जानी चाहिए।

(iv) रेल भवन में अवस्थित हस्तशिल्प केन्द्र द्वारा उपभोग किए गए बिजली और पानी का व्यय रेलवे राजस्व द्वारा वहन किया जाना चाहिए। जहॉ पर हस्तशिल्प केन्द्र रेलवे संस्थान द्वारा वहन किए जाने चाहिए।

<u>व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र : (Vocational training cantre)</u> (IREM भाग–II नियम–2240)

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र उपयुक्त स्थानों पर स्थापित किए जाए जहॉ सायंकाल में कक्षाएं लगाई जानी चाहिए जहॉ निम्न का प्रशिक्षण दिया जाए :–

(i) (a) अकुशल एवं अर्द्धकुशल कामगारों को ड्यूटी के पश्चात् के घण्टों में अपने भविष्य की संभावनाओं को सुधारने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, और

(b) रेल कर्मचारियों के बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण

(ii) रेल कर्मचारियों और उनके बच्चों के लिए साप्ताहिक दिनों में अलग–अलग कक्षाएं बारी–बारी से लगाई जाएगी।

(iii) प्रशिक्षण केन्द्रों में बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। रेल कर्मचारियों के आश्रित इस उद्वेश्य के लिए प्रवेश के योग्य होगें, रेल कर्मचारियों के परिवार के सदस्य भी पात्रता रखते है,जो सुविधा पास पाने का पात्र है।

(iv) प्रशिक्षण सरल कार्यो का ही दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को कारपेण्टर या फिटर के रूप में प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही साथ उनको आधारभूत तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाए जो उन्हें बाद में दिए जाने वाले अधिक कठिन कार्य के प्रशिक्षण के निर्देशों को ग्रहण करने योग्य बनाए, यदि बाद में जब उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षु के प्रशिक्षण हेतु भर्ती किया जाए या यदि सेवा में है तो साामन्य प्रकियानुसार जब उन्हें पदोन्नति योग्य समझा जाए। जो पढे लिखे है उन्हें अंकगठित ,क्षेत्रमिति और रेखाचित्र को पढने संबंधी सैद्वान्तिक शिक्षा भी दी जाए।

(v) प्रत्येक अभ्यार्थी से सामान्य फीस प्रति माह ली जाएगी।

(vi) इस केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को नौकरी या पदोन्नति में कोई लाभ नहीं दिए जायेगें,क्योंकि ऐसा करना संविधान के विरूद्व होगा। इस केन्द्र का उद्वेश्य केन्द्र के विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा देना है जो उनके लिए एक पूंजी होगी और इसकी प्राप्ति उन्हें उन लोगों से अच्छी स्थिति में रखेगी जिनके पास यह पूंजी नहीं है और यह उन्हें तकनीकी रूप से निपुण भी बनाएगी।

(vii) प्रशिक्षण केन्द्र में प्रभावी संचालन हेतु सक्षम पर्यवेक्षक और कारीगर को उचित मानदेय के भुगतान पर निरीक्षक के रूप में लगाया जा सकता है। इस उद्वेश्य के लिए सेवानिवृत कर्मचारियों को लगाने पर भी कोई आपत्ति नहीं है।

(viii) उन रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को प्रमाण पत्र दिए जा सकते है जो इन व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करते है।`

कैन्टीन : (IREM भाग–II नियम–2229 से 2238)

संवैधानिक बाध्यता के रूप में कैन्टीन का प्रावधान :

फैक्ट्री एक्ट 1948 के भाग 46 के प्रावधान रेलवे प्रशासन के उन रेलवे संस्थानों पर कैन्टीन स्थापित करने के लिए संवैधानिक बाध्यता लागू करते है जो फैक्ट्री एक्ट द्वारा शासित है जहॉ 250 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है।

संवैधानिक बाध्यता के रूप में कैन्टीन का प्रावधान :

फैक्ट्री एक्ट 1948 के अधीन कैन्टीन एक संवैधानिक बाध्यता के प्रावधान के अलावा रेलवे प्रशासन ,कर्मचारी कल्याण के रूप में आवश्यकतानुसार कैन्टीन उन संस्थानों में खोल सकता है जो इस एक्ट द्वारा शासित नहीं है।

कैन्टीन स्थापित करने के नियम :

कैन्टीन खोलने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शी नियम दिए गए है :–

(i) कैन्टीन ऐसे स्थानों पर खोले जाने चाहिए जहॉ पर बडी संख्या में मजदूर कार्यरत है जैसे वर्कशाप, शैड्स, यार्डस्, बडे स्टेशन इत्यादि । ऐसे स्थान जहॉ स्टाफ संख्या 25 से अधिक परन्तु 100 से कम है वहॉ टिफिन रूम उपलब्ध कराए जा सकते है और जहॉ स्टाफ संख्या 100 या उससे अधिक है वहॉ रेगुलर कैन्टीन उपलब्ध कराए जा सकते है। यह स्तर केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। कैन्टीन आत्मनिर्भर होनी चाहिए तथा बिक्री की कीमतें समय–समय पर खरीद पर व्यय, कैन्टीन चलाने पर हुए व्यय के संदर्भ में पूरे वर्ष को एक मानते हुए, न फायदा न नुकसान के आधार पर तय की जानी चाहिए।

(ii) वहॉ कार्य घण्टों का नुकसान नहीं होना चाहिए अर्थात् हल्का नाश्ता होना चाहिए, जबकि खाने/भोजन का उपभोग कार्य घण्टों के अलावा किया जाना चाहिए।

(iii) बेची जाने वाली सामग्री पौष्टिक और सस्ती होनी चाहिए।

कैन्टीन का प्रबन्धन :

संविधान के अधीन उपलब्ध कराई गई कैन्टीन :

जिस स्टाफ को कैन्टीन की सेवाएं प्राप्त है उसे कैन्टीन प्रबन्धन से सक्रिय रूप से जुडे रहना चाहिए। इस उद्वेश्य के लिए कैन्टीन की दैनिक कार्यप्रणाली की सहायतार्थ संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार स्टाफ प्रबन्धन की एक समिति बनाई जानी चाहिए। हालांकि यह परामर्शदायी समिति का कार्य करेगी। प्रशासन कैन्टीन प्रबन्धन हेतु एक स्टाफ समिति का गठन कर सकता है लेकिन उचित प्रबन्धक की कानूनी जिम्मेदारी समिति की नहीं होगी बल्कि केवल रेल प्रशासन की होगी।

सांविधिक प्रावधानों के अलावा उपलब्ध कराए गए कैन्टीन :

इस उद्वेश्य हेतु गठित एक प्रबन्धन समिति इन कैन्टीनों को चलाएगी। इस समिति में उस स्टाफ के उचित रूप से चुने गए गतिनिधि होगें। जिसके लिए यह कैन्टीन चलाई जा रही है। इसके अलावा रेलवे प्रशासन की और से एक प्रतिनिधि सभापति, सचिव या समिति सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। इस प्रकार गठित इस समिति के पास कैन्टीन को चलाने या किराये पर लेने या बेचने अथवा इसे रेल प्रशासन की स्वीकृति के बिना हटाने के पूरे अधिकार होगें। फिर भी, यदि समिति में रेल प्रशासन द्वारा नामित सभापति या सचिव या सदस्य ऐसा सोचता है कि समिति द्वारा लिया गया कोई निर्णय भवन

फर्नीचर या उपकरणों के मालिक के रूप में रेल प्रशासन के हित में बाधक हो सकता है या स्टाफ को बहुत हानि पहुँचा सकता है, तो वह इस आशय की सूचना समिति को देगा और इस स्थिति में समिति के उस निर्णय की क्रियान्विति तब तक नहीं होगी तब तक सक्षम प्राधिकारी इस पर अपना निर्णय नहीं देता।

व्यय भार :

ऊपर दिए निर्देशानुसार जब तक कैन्टीन खोलना प्रस्तावित हो तो व्यय भार निम्नानुसार रहेगा :–

फैक्ट्री एक्ट 1948 के अलावा उपलब्ध कराई गई कैन्टीन हेतु रेलवे प्रशासन आवश्यक भवन, गैस, उपकरण, सफाई और बिजली उपस्कर, फर्नीचर और खाना बनाने के बर्तन, बिजली और पानी उपलब्ध करवा सकता है।

रेलवे प्रशासन द्वारा दिए गए उपकरणों /सामान की जॉच की जाएगी और कमी पाए जाने पर उसकी भरपाई करनी पडेगी। वे कैन्टीन की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और कीमत संबंधी जॉच भी कर सकते है।

वयस्क साक्षरता केन्द्र :

साक्षरता कार्यक्रम का 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और निरक्षर वयस्कों में साक्षरता को बढावा देने के उद्देश्य से वयस्क साक्षरता केन्द्र कर्मचारी हित निधि समिति द्वारा भी चलाया जा सकता है।

सांस्कृतिक केन्द्र :

रेल कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों अर्थात् नाटक, संगीत और नृत्य इत्यादि को बढावा देने के लिए कर्मचारी हित निधि सांस्कृतिक केन्द्र भी चला सकता है।

विपत्ति के समय सहायता :

यह सुविधा उन रेल कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने स्थायी या अस्थायी रूप में एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है। अनियत मजदूर जिन्हें अस्थायी औहदा दिया जा चुका है, वे भी इसके हकदार होगें लेकिन वे अनियत मजदूर जिन्हें अस्थायी औहदा नहीं दिया गया है, इस सुविधा के हकदार नहीं होंगे।

अंतिम संस्कार हेतु सहायता :

वह रेलवे कर्मचारी जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है,उसके परिवार को यह सुविधा उपलब्ध होगी।

विधवाओं को सहायता :

किसी रेलवे कर्मचारी की अचानक मृत्यु की स्थिति में उसकी विधवा द्वारा आवेदन करने पर कर्मचारी हित निधि द्वारा उसके बच्चों (एक समय में 03 बच्चे) की शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध कराती है,लेकिन वे विधवाएं जिन्हें अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति मिल चुकी है, इस सहायता की हकदार नहीं होगी।

बीमारी लाभ :

यदि रेल कर्मचारी के परिवार को कोई सदस्य टी.बी./कैन्सर/पोलियो/कुष्ठ रोग/हृदय रोग से पीडित है तो रेलवे चिकित्सक के प्रमाण पत्र पर कर्मचारी हित निधि द्वारा बीमारी लाभ उपलब्ध कराया जाता है। यह सुविधा केवल उस स्टाफ को दी जाएगी जिन्होंने लगातार तीन वर्ष की न्यूनतम सेवा पूर्ण कर ली है। इनडोर गेम्स के लिए आवश्यक सुविधाएं, मनोरंजन सुविधा अर्थात् रेडियो, टी.वी., समाचार पत्र – पत्रिकाएँ इत्यादि रेलवे अस्पताल में केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

चश्में की आंशिक कीमत का पुर्नभुगतान :

संरक्षा नियमों के अनुरूप जिन कर्मचारियों की समय–समय पर दृष्टि जॉच आवश्यक है, उनकी सेवा के दौरान चश्में की आंशिक कीमत का पुर्नभुगतान कर्मचारी हित निधि द्वारा किया जाएगा।

कृत्रिम दॉतों की आंशिक कीमत का पुर्नभुगतान :

ग्रुप सी और डी स्टाफ जो कृत्रिम दॉत खरीदते है उनको आर्थिक सहायता कराई जाएगी।

अन्य विविध कल्याण गतिविधियॉ :

कर्मचारियों का पुस्तकालय : मंडल और कार्यशाला कर्मचारियों के लिए पुस्तकालय खोल सकते है ताकि वे खाली समय का उपयोग ज्ञान बढाने के लिए कर सकें। इस मद पर किया गया खर्च SBF द्वारा वहन किया जाएगा।

सामाजिक कल्याण केन्द्र : रेलवे में सामाजिक कल्याण केन्द्र चलाने का प्रावधान है और इस मद पर किया गया व्यय SBF द्वारा वहन किया जाएगा। ऐसी रेलवे कॉलोनियां जहॉ 100 या अधिक परिवार रह रहे हैं, ये केन्द्र निम्न गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए चलाए जा सकते है :–

1. इन्डोर गेम्स
2. आउट डोर गेम्स
3. वयस्क साक्षरता और साक्षरता कक्षाएं
4. सिलाई और कताई कक्षाएं
5. नाटक और नृत्य के लिए कक्षाएं
6. संगीत कक्षाएं
7. राष्ट्रीय अवकाशों और पर्वो को मनाना।

बाल मन्दिर :

महिला समिति और समाज कल्याण केन्द्र के सहयोग से रेल कर्मचारियों के बच्चों के हित में रेलवे बाल मन्दिर भी चलाए जा सकते है। इन बाल मन्दिरों में 02 से 05 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को विभिन्न प्रकार के चित्र और चार्ट दिखाकर उपयोगी ज्ञान दिया जाता है।

सांस्कृतिक गतिविधियॉ :

सांस्कृतिक गतिविधियों को बढावा देने के लिए अर्थात् नाटक, गायन, समूह वादन (Orchestra), संगीत, नृत्य इत्यादि का आयोजन किया जाता है जिसमें कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य भाग ले सकते है। इन उद्वेश्यों के लिए वाद्य यंत्र कर्मचारी हित निधि से खरीदे जा सकते है जिसके लिए कर्मचारी हित निधि द्वारा आवश्यक अनुदान देगा। उर्दू भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए रेलवे में समय– समय पर कवि सम्मेलन और मुशायरे जैसी सांस्कृतिक गतिविधियॉ आयोजित करवाई जा सकती है। इस उद्वेश्य के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों के अन्तर्गत कर्मचारी हित निधि से धन दिया जा सकता है। (RBE 08/08)

वैकल्पिक चिकित्सा पद्वति :

– आयुर्वेदिक /होम्योपेथी चिकित्सो को रखने संबंधी नीति में रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 23.07.2014 द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया गया है :– (RBE 80/14)

(i) प्रत्येक जोनल रेलवे/उत्पादन इकाई में कुल आठ व दो औषधालय (Dispensaries) से अधिक नहीं होगें (आयुर्वेदिक /होम्योपेथी सहित)।

(ii) वर्तमान 08 घण्टे तथा 04 घण्टे औषधालय संबंधी व्यवस्था को सप्ताह में पांच दिन 04 घण्टे औषधालय की व्यवस्था में तबदील (replaced) किया जायेगा। भविष्य में कोई भी नया नियोजन (engegment) सिर्फ 04 घण्टे आधार पर ही होगा। अतः इस संबंध में महाप्रबन्धक को आर.बी.ई. 30/13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां समाप्त (annulled) मानी जायेगी।

(iii) आयुर्वेदिक /होम्योपेथी Practitioners अब आयुर्वेदिक /होम्योपेथी Consultant के रूप में आरबीई 177/89, 250/89 व 12/14 में दर्शायी गई योग्यता के आधार पर लगाए जायेगें।

(iv) यह Consultant (आयुर्वेदिक /होम्योपेथी) SBF run dispensaries में CSBF कमेटी द्वारा लगाए जायेगे जिसमें संबंधित जोनल रेलवे से एक डॉक्टर भी होगा।

(v) 04 घण्टे औषधालय के लिए लगाए गए Consultant का अनुबन्ध सिर्फ एक वर्ष के लिए मान्य होगा तथा कार्य की संतुष्टि के आधार पर इसे बढाया जा सकेगा।

(vi) Consultants/dispensers लगाने हेतु आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गइ है तथा वर्तमान में लगे हुए Consultants/dispensers की सेवाएं इस आयु पश्चात् समाप्त हो जायेगी।

(vii) रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 28.10.99 में दिये गये निर्देशानुसार 08 घंटे हेतु विनियोजित Consultants को ही पास/पी.टी.ओ.की सुविधा देय है। 04 घंटे हेतु विनियोजित Consultants को यह सुविधा देय नहीं होगी।

(viii) आयुर्वेदिक /होम्योपेथी Consultants/dispensers की संशोधित मान देय दरे निम्नानुसार होगी :–

	Revised Honorarium	
	8 hrs duration	4 hrs duration
Consultants (Ayurvedic /Homeopathic)	Rs.24000/-	Rs.17,500/-
Dispensers (Ayurvedic /Homeopathic)	Rs.7,200/-	Rs. 5,000/-

(ix) दवाईयों पर मासिक Subsidy निम्नानुसार होगी :–

Ayurvedic/ Homeopathic Dispensaries- Rs.8,000/-

रेलवे बोर्ड द्वारा मामले का पुनरावलोकन करने पश्चात् आरबीई 80/14 के अन्तर्गत जारी निर्देशों को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया :– (RBE 47/15)

(i) RBE 80/14 के अन्तर्गत होम्योपेथी व आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरियों की संख्या संबंधी सीमा निर्धारण को वापस ले लिया गया है।

(ii) होम्योपेथी व आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरियों में वर्तमान में 08 घण्टे हेतु कार्यरत कंसलटेंट लगातार रहेंगे तथा भविष्य में इन डिस्पेन्सरियों में कंसलटेंट 04 घण्टे हेतु अनुबंधित किये जायेगे।

(iii) वर्तमान में 08 घण्टे व 04 घण्टे आधार पर कार्यरत आयुर्वेद डिसपेंसर को देय मासिक मानदेय में संशोधन करते हुए क्रमशः रू.9000/– व रू. 7000/–किया गया है।

(iv) आयुर्वेदिक डिस्पेरिन्स को देय मासिक अनुदान को संशोधित करते हुए रू.9800/– कर दिया गया है।